राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1289/2025 बिरदीचन्द बनाम सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
01/12/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने दिनांक 10/04/2017 को जरिये विक्रय एग्रीमेंट अपीलार्थी को भूमि बैचान कर दिया, जिस पर कृष्ण विहार-3 कॉलोनी विकसित किये जाने के पश्चात उस पर FIR दर्ज करवाई गयी, जिसमें अब FR लग चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 181/2020 उनवानी सीताराम बनाम बद्री पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2022 पारित की गयी, जिसके विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2022 की क्रियान्विति स्थगित कर दी गयी तत्पश्चात रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुन: दावा पेश किया, जिसमे पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसकी राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा क्रियान्विति स्थगित की गयी। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुन: दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अन्तरिम आदेश दिनांक 20/12/2023 पारित करवा लिया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन अन्तरिम आदेश प्रदान किया है, जो क़ानूनी प्रावधानों के विरुद्ध पारित किये जाने से त्रुटीपूर्ण है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता दिनांक 06/08/2024 को उपस्थित हुआ के बाद अपीलार्थी बीमार होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका तथा रेस्पो. संख्या 1 का पुत्र अपीलार्थी के कब्जे काश्त व हक़ हिस्से की भूमि पर आया तथा काश्त करने व छड़ियाँ छांगने से मना किया तथा अन्य दीगर व्यक्तियो के साथ भूमि की नापजोख करने लगा तो अपीलार्थी के मना करने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20/12/2023 की प्रति दिखाई, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 21/07/2025 को अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 22/07/2023 को नकल प्राप्त होने पर अपील इस न्यायालय के समक्ष जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बिरदीचन्द बनाम सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संज्ञान लिये बगैर ही एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/12/2023 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अत: अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20/12/2023 को एकपक्षीय अन्तरिम आदेश पारित करने के पश्चात व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर एकपक्षीय अन्तरिम आदेश को निरन्तर कायम रखा गया है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है एवं ऐसे में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को उच्चतर न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में क्षमा किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा यह भी जाहिर किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में पूर्व में वाद विचाराधीन होने के उपरान्त भी नवीन वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अपीलाधीन अन्तरिम आदेश प्राप्त किया है, उचित तथ्य प्रतीत होने से अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत जाहिर नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/12/2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपपक्षों की सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे | तदनुसार अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर